

डेटा फार्मेट में परिवर्तन

[सिफारिशें 8.10, 8.11, 8.12 (ख), 8.13 (ग), और 8.15]

बैंकों, अखिल भारतीय अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं, साख सूचना कंपनियों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, आवास वित्त कंपनियों का एक तकनीकी कार्य दल (कृपया परिपत्र का पैरा 2 (v) देखें) भारतीय बैंक संघ / माइक्रो वित्तीय संस्था नेटवर्क के साथ मिलकर डेटा फार्मेट की आवधिक रूप से, जैसे कि वर्ष में एक बार समीक्षा करेगा और इसमें संशोधन हेतु सुझाव देगा। सबसे पहले, कार्यदल प्राथमिकता के आधार पर वाणिज्यिक घटक के डेटा फार्मेट में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता के साथ साथ निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करेगा :

- i. डेटा फार्मेट में अतिरिक्त फ़ील्ड्स : रिपोर्ट के अनुबंध 5 में डेटा फार्मेट में शामिल किए जाने के लिए कुछ अतिरिक्त फ़ील्ड्स दिए गए हैं (फ़ील्ड के नाम और उनके लाभ)। तदनुसार, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र संकेतक फ़ील्ड को छोड़कर, उपभोक्ता डेटा फार्मेट में अन्य फ़ील्ड्स शामिल किए जा सकते हैं। वाहनों के लिए, केवल वाहन का प्रकार और पंजीकरण संख्या अनिवार्य होगी न कि चेसिस संख्या। भारतीय केंद्रीय प्रतिभूतीकरण आस्ति पुनर्गठन और प्रतिभूति हित रजिस्ट्री (सीईआरएएसएआई) के पास पंजीकृत सम्पत्ति की पंजीकरण संख्या को साख सूचना कंपनियों द्वारा शामिल किए जाने की आवश्यकता है। [सिफारिश 8.10 (ख)]
- ii. समझौता निपटान: डेटा फार्मेट में उन मामलों को जहां आपसी समझौते से निपटान हुआ है तथा ऐसे समझौता निपटान के कारणों को भी शामिल किया जाना चाहिए। [सिफारिश 8.10 (ग)]
- iii. विस्तृत उत्पाद वर्गीकरण : बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा साख सूचना कंपनियों को उत्पाद वर्गीकरण के विस्तृत ब्यौरे रिपोर्ट किए जाने चाहिए, जैसे कि वाहन ऋण के अंतर्गत कार ऋण, वाणिज्यिक वाहन ऋण और निर्माण कार्य उपकरण वाले वाहन

- ऋण। साख सूचना कंपनियों द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को दी जाने वाली रिपोर्ट में भी इसे शामिल किया जाना चाहिए। [सिफारिश 8.10 (घ)]
- iv. संबंध / गारंटीकर्ता के बारे में जानकारी: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वे अपने कोर बैंकिंग साल्यूशन्स/ सिस्टम में कंपनी फील्ड्स के अंतर्गत संबंध/गारंटीकर्ता के संबंध में कुछ सूचनाएं संकलित करें जैसे कि कारोबार की श्रेणी/प्रकार, मोबाइल/टेलीफोन नंबर, राज्य/ पिन कोड/देश और इसे साख सूचना कंपनियों के वाणिज्यिक ब्यूरो को रिपोर्ट करें। [सिफारिश 8.10 (ड)]
- v. स्वयं सहायता समूह के सदस्य (एसएचजी): एसएचजी के वैयक्तिक सदस्यों की ऋण सूचना उनके क्रेडिट पूर्ववृत्त का पता लगाने में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र को ऋण वृद्धि तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है। इसलिए, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वे एसएचजी के वैयक्तिक सदस्यों का डेटा प्राप्त करें और इसे छह माह की अवधि में साख सूचना कंपनियों को प्रस्तुत करना शुरू करें। [सिफारिश 8.10 (च)]
- vi. क्रास रिपोर्टिंग: साख सूचना कंपनियों द्वारा क्रास रिपोर्टिंग, उदाहरण के लिए- जहां व्यक्ति उधारकर्ता है और कंपनी सह-उधारकर्ता है या ठीक इसके विपरीत स्थिति है, पर स्पष्ट रूप से दिशानिर्देशों की सूचना दी जानी चाहिए । फार्मेट में ऐसे डेटा को शामिल किए जाने हेतु फील्ड्स दिए गए हैं, जहां उपभोक्ता संबंधी डेटा उपभोक्ता ब्यूरो में तथा सह- उधारकर्ता संबंधी डेटा वाणिज्यिक ब्यूरो में रिपोर्ट किया जाएगा। [सिफारिश 8.10 (ज)]
- vii. देय होने के बाद के दिनों की रिपोर्टिंग : बैंक/वित्तीय संस्थाएं साख सूचना कंपनियों को रिपोर्ट करते समय उनके द्वारा उपभोक्ताओं और कारोबारियों को दी गई ऋण सुविधाओं के लिए देय होने के बाद के दिनों (डीपीडी) को अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करें। [सिफारिश 8.10 (झ)]

- viii. आंशिक रूप से देय किस्त का वर्णन : बैंक/वित्तीय संस्थाओं को डेटा यथावत रूप में प्रस्तुत करना चाहिए जबकि गुणवत्तापूर्ण सूचना पर राशि और अवधि पर आधारित किसी प्रकार के फिल्टर के प्रयोग का निर्णय विशिष्ट प्रयोगकर्ताओं और अन्य द्वारा, जो ऐसे डेटा का प्रयोग करते हैं, किया जा सकता है। [सिफारिश 8.10 (ज)]
- ix. आय डेटा: बैंक/वित्तीय संस्थाएं उपभोक्ता ब्यूरो के अंतर्गत उधारकर्ताओं के आय संबंधी आंकड़े साख सूचना कंपनियों को रिपोर्ट करना जारी रखेंगे। [सिफारिश 8.10 (ट)]
- x. पहचान संख्या: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा वाणिज्यिक खंड में कंपनी पहचान संख्या (सीआईएन) और कंपनी के निदेशकों के क्रेडिट पूर्ववृत्त (डीआईएन संख्या पर आधारित) साख सूचना कंपनियों को रिपोर्ट किए जाने चाहिए और इसे साख सूचना कंपनियों द्वारा अपनी रिपोर्टों में शामिल किया जाए। [सिफारिश 8.10 (ठ)]
- xi. रिपोर्टिंग के लिए साफ्टवेयर : भारतीय रिजर्व बैंक सामान्यतया इस बात से सहमत है कि साख सूचना कंपनियों के साथ अपलोडिंग और अमान्य डेटा की वापसी हेतु एक ही फार्मेट होना चाहिए क्योंकि डेटा प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया के दौरान एक्सेल/टीयूडीएफ/नोटपैड इत्यादि जैसे फार्मेट्स के बीच परिवर्तन/ पुनःपरिवर्तन में वैलिडेशन संबंधी मुद्दे पैदा हो सकते हैं। तथापि, बैंकों, साख सूचना कंपनियों, एनबीएफसी आदि का तकनीकी समूह इस मुद्दे पर आगे भी विचार-विमर्श कर और जरूरी समझे जाने पर इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को उपयुक्त सुझाव दे सकता है। [सिफारिश 8.10 (ड)]
- xii. अपलिखित और निपटान किए गए खातों की स्थिति : इस संबंध में क्रेडिट डेटा रिपोर्ट करते समय बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं को केवल विशिष्ट परिस्थितियों जहां मूल नियम और शर्तों के अनुसार चुकौती में वित्तीय रूप से असमर्थ रहने के कारण ग्राहक को मूलधन या ब्याज में छूट अथवा दोनों प्रदान की गई है, को व्यक्त करने के लिए 'निपटान' स्थिति का उल्लेख करना चाहिए। बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं को ऐसे ग्राहकों को

फिर से ऋण उपलब्ध कराए जाने से पूर्व इस प्रकार की स्थिति की जानकारी रहनी चाहिए। बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा गलत डेबिट किए जाने अथवा विवादग्रस्त शुल्क संबंधी मामलों को 'निपटान' के रूप में रिपोर्ट न कर रिपोर्ट के अनुबंध 5 पर दिए गए डेटा फार्मेट में नए फील्ड के रूप में शामिल किए जाने हेतु दिए गए सुझाए के अनुसार 'विवादग्रस्त' रिपोर्ट किया जाना चाहिए। [सिफारिश 8.12 (ख)]

xiii. पुनर्रचना के प्रमुख कारण: वाणिज्यिक डेटा फार्मेट के इस फील्ड से यह समझने में मदद मिलती है कि उधारकर्ता के ऋण का पुनर्रचना बाह्य / असंगत कारणों जैसे कि बाह्य पर्यावरण, अर्तव्यवस्था में सामान्य मंदी आदि के चलते किया गया है या कंपनी/उधारकर्ता से जुड़े विशिष्ट कारणों जैसे कि प्रबंध में बदलाव, प्रवर्तकों के कार्यनिष्पादन आदि के कारण। [सिफारिश 8.13 (ग)]

xiv. डेटा में कम से कम एक पहचान संकेतक फील्ड: बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा में कम से कम एक पहचान संकेतक फील्ड अवश्य शामिल किया जाना चाहिए, यथा., पैन कार्ड संख्या, पासपोर्ट संख्या., वाहन चालन लाइसेंस संख्या., मतदाता पहचानपत्र संख्या., आधार संख्या., टेलीफोन नंबर, आदि. [सिफारिश 8.15]
